BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज के लिये प्रताडित कर मारपीट करने के 04 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 25,000-25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. राजकुमार उर्फ राजू 2. प्रमोद पुत्रगण मेघराज 3. श्रीमती पुष्पा पत्नी मेघराज 4. मेघराज पुत्र खेमचन्द निवासीगण ग्राम शेखपुरा गढ़वा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2020 में वादिया से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसके साथ मारपीट करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 03.09.2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं – 644/2020 धारा 498ए/323/34 भादवि व ¾ डीपी एक्ट पजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.01.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 31.01.2025 को न्यायाधीश श्री विवेक कुमार I (मा0 न्यायालय एडीजे-14/स्पे0 ई0सी0 एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू, प्रमोद, श्रीमती पुष्पा व मेघराज को 05-05 वर्ष का कारावास व 25,000/-25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव कुमार व श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर